POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2018/अंक 06

मासिक प्रेषण दि. 8 जून, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जून, 2018 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! देश में वर्ष 2006 से हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है।

इस बार हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नौकरशाहों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सरकारी कार्यालयों में फाइलों को 32 बार इधर से उधर दौड़ाने के बाद भी जनहित के कई काम समय पर पूरे नहीं होते...। इस लेटलतीफी से आमजन को कितना नुकसान होता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने इस सच्चाई को उजागर करते हुए गहरी चिंता जाहिर की।

यह एक कड़वा सच है, केन्द्र और राज्य सरकारें देश व प्रदेश के विकास और आमजन की भलाई के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण करती हैं। लेकिन ये योजनाएं अफसरशाही की शिथिलता और अकर्मण्यता के चलते काफी धीमी गति से चलती हैं। समय पर योजनाओं का प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन नहीं होने से जरूरतमंदों को उनका सही लाभ नहीं मिल पाता और देश का विकास भी अवरुद्ध होता है। शासन-प्रशासन में लगा भ्रष्टाचार का घुन देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है।

इससे निजात पाने के लिए प्रशासनिक सुधारों के साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और दंड प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। 'सूचना का अधिकार' इसके लिए कारगर औजार माना गया है।

इसके अलावा राज्यों में सीटीजन चार्टर के माध्यम से सरकारी कार्यालयों की कार्य कुशलता बढ़ाई जा सकती है। कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के कदम भी उठाए जाने चाहिए।

हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचना आवश्यक

केन्द्र सरकार की योजनाओं को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार का दायित्व और हमारा कर्तव्य है। पहले संपन्न व्यक्ति ही बीमा पॉलिसी ले पाते थे लेकिन अब गरीब से गरीब आदमी भी मात्र 12 रुपए में अपना बीमा करवा सकता है।

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से संचालित वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण परियोजना के तहत 'कट्स' द्वारा किसान भवन, चित्तौड़गढ़ में आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सी.पी.जोशी ने उक्त विचार व्यक्त किए। उन्होंने हर तहसील से एक गांव को शत-प्रतिशत वित्तीय साक्षरता और माइक्रो इंश्योरेंस योजना से जोड़ने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में विशिष्ठ अतिथि दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि वित्तीय सेवाओं के बारे में हर व्यक्ति को सचेत और जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने इंटरनेट सेवाओं के बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीण महिलाओं में इंटरनेट के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक सचिन बाडेटिया ने समाज के हर तबके के लोगों को सूक्ष्म बीमा योजनाओं से जोड़ने की जरूरत बताई। तकनीकी सत्र में विभिन्न बैंकों से आए अधिकारियों ने बैंकिंग योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

बैठक के शुरुआत में 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने परियोजना के उद्देश्यों एवं गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रथम चरण में जिले की 11 पंचायत समितियों की 1854 महिलाओं को वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

बैठक में जिले की सभी पंचायत समितियों की ग्रामीण महिलाओं सहित 104 सहभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

वृद्धजन कर सकेंगे निःशुल्क यात्रा

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से की गई बजट घोषणा की पालना में राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसों में 80 साल से अधिक आयु के वृद्धजन (महिला व पुरुष) अब निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही उनके एक सहयोगी को किराए में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।

निगम की बसों में यात्रा के लिए रियायत व छूट प्राप्त करने वाले 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज प्रशासन द्वारा स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए मुख्यालय की ओर से आदेश जारी किए जा चुके हैं।

उज्ज्वला योजना का दायरा बढ़ाया

केन्द्र सरकार ने उज्ज्वला योजना का दायरा बढ़ा दिया है। योजना के तहत पहले 5 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन देने थे, जिसे बढ़ाकर अब 8 करोड़ कर दिया गया है।

राजस्थान में पहले 19.17 लाख परिवारों को यह कनेक्शन दिया जाना था। अब योजना का दायरा बढ़ने से करीब 26.93 लाख परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

योजना में अब प्रधानमंत्री आवास योजना व अंत्योदय योजना के लाभार्थियों सहित वनवासी, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को भी शामिल किया गया है।

आमजन को मिला बेहतर इलाज

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की बेहतरी के लिए जो कदम उठाए हैं उनकी वजह से आज समाज के हर तबके को अच्छे से अच्छा इलाज मिलना संभव हो रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होने के बाद प्रदेशभर में अच्छी चिकित्सा तक आमजन की पहुंच संभव हो सकी है। इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 20 लाख लोगों का निःशुल्क इलाज हुआ है।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

बूंद-बूंद सहेजने की नायाब मिसाल

बाड़मेर जिले के रामसर के ग्रामीणों की तकनीक और बूंद-बूंद सहेजने की सोच रेगिस्तान में पानी की कमी को पूरा कर रही है। बारिश में पहाड़ों से निकलकर व्यर्थ बहने वाले पानी को एक चैनल के जरिए तालाब तक लाया गया।

इस पानी से तालाब के पेटे में स्थित करीब 100 बेरियां (छोटे कुओं) रिचार्ज होती हैं और आसपास के करीब 60 से भी ज्यादा गांवों की प्यास इन्हीं बेरियों से बुझती है। इनसे इन गांवों को पूरे साल पीने का मीठा पानी मिलता है।

वर्ष 2007-08 में तत्कालीन सरपंच मोतीलाल मालू और ग्रामीणों के प्रयास से तैयार हुई वाटर हार्वेस्टिंग की यह एक अनुकरणीय मिसाल है।

मनरेगा के अधूरे कार्य जल्द पूरे हों

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को मनरेगा में अधूरे पड़े 4 लाख 22 हजार कार्यों को जून 2018 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की धीमी रफ्तार पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि जरूरत हो तो काम पूरे करने के लिए अभियान भी चलाया जाए।

राठौड़ ने कहा कि हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के साथ स्थाई निर्माण के कार्य हो सकें। उन्होंने मनरेगा में प्रदेश के तीन हजार से अधिक स्मार्ट विलेजों में 17 तरह के किए जाने वाले कार्यों की तत्काल स्वीकृतियां जारी करने के भी निर्देश दिए।

मेरा गांव-स्वस्थ गांव अभियान

प्रदेशभर में न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान गांवों में 'मेरा गांव-स्वस्थ गांव' अभियान भी संचालित किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मई से जून के बीच आयोजित इस अभियान में हर गांव-ढाणी तक चिकित्सा टीमें जाएंगी।

अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लगभग 75 फीसदी आबादी के स्वास्थ्य की जांच, मौसमी बीमारियों व मच्छरों की रोकथाम, पेयजल स्त्रोतों की सफाई, क्लोरीनेशन, फोगिंग के साथ ही टीबी और तंबाकू के उपयोग पर नियंत्रण करने जैसी अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

किसानों के फायदे की कई योजनाएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि किसानों को कम लागत में अच्छी कमाई हो सके, इसके लिए सरकार ठोस प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के लिए ज्यादा लाभप्रद बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि किसानों को फसल उपज का वाजिब दाम मिले इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बेहतर करने और किसानों के उत्पादों की खरीद व्यवस्था को लाभदायक बनाने की दिशा में भी ठोस पहल की गई है। किसानों की आय बढ़ सके इसके लिए सरकार पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दे रही है।

देश का हर गांव हुआ रोशन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 अप्रैल 2018 को देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए दावा किया है कि मणिपुर के लेइसांग गांव सहित देश के ऐसे तमाम गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, जो अभी तक रोशनी से अछूते थे।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के सभी 597464 गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है। मोदी सरकार के सत्ता संभालने के वक्त 18452 गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी। हालांकि, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) के अनुसार अभी देश के सात करोड़ पांच लाख घरों में बिजली कनेक्शन नहीं है। लोगों से घरों में बिजली कनेक्शन लगवाने को कहा गया है।

बैंकों में जमा आठ हजार करोड़ के दावेदार नहीं

देश के अलग-अलग बैंकों में ऐसा काफी पैसा जमा है जिसका कोई दावेदार नहीं है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सभी बैंकों को मिलाकर देखा जाए तो इस रकम का आंकड़ा आठ हजार करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सरकार द्वारा केवाईसी नियमों में की गई सख्ती की वजह से ऐसे खातों की संख्या बढ़ गई है। खाताधारक की मौत होने पर अब बैंक तब ही किसी को उनके पैसे निकालने देता है जब पैसा मांगने वाला शख्स उस खाता धारक से अपना करीबी रिश्ता स्थापित कर पाए।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग बैंकों के खातों में पड़े 8,864.6 करोड़ रुपए का कोई दावेदार नहीं है। यह आंकड़े दिसंबर 2016 तक के बताए जा रहे हैं। बैंकों में पड़े जिस पैसे का कोई दावेदार नहीं होता वह भी बैंक का घाटा ही करवाता है। दरअसल बैंक उन खातों पर ब्याज देना बंद नहीं कर सकते। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि पिछले दस सालों से जिन खातों का कोई दावेदार सामने नहीं आया है, उनकी लिस्ट तैयार करके सभी बैंक अपनी-अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। अपलोड की गई जानकारी में खाताधारकों के नाम और पता शामिल होंगे।

न्यूनतम बैलेंस होने के बावजूद बैंक ने खाते से काटी राशि

जोधपुर निवासी शोभा व्यास ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के खिलाफ जिला उपभोक्ता मंच, जोधपुर में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में मंच को बताया गया कि उनका एक खाता एसबीआई (तब एसबीबीजे) में खुला हुआ है। तब बैंक के नियमानुसार खाते में न्यूनतम बैलेंस 1000 रुपए रखना जरूरी था। काफी समय बाद जब उन्होंने अपनी पासबुक अपडेट कराई तो मालुम हुआ कि बैंक द्वारा न्यूनतम बैलेंस होने के बावजूद उनके खाते से 2083.69 रुपए की कटौती कर दी गई है।

उन्होंने बैंक प्रबंधक से इसकी जानकारी चाही तो कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही समाधान किया गया। थक-हारकर उन्होंने बैंक को विधिक नोटिस भिजवाया। नोटिस मिलते ही बैंक अधिकारियों ने नियमों के विरुद्ध काटी गई राशि 2083.69 रुपए उनके खाते में जमा कर दी। बैंक द्वारा काटी गई इस राशि पर उन्हें कोई ब्याज नहीं दिया गया। इससे उन्हें मानसिक और आर्थिक नुकसान हुआ है।

मामले कि सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने बैंक द्वारा गुपचुप रूप से विधि विरुद्ध की गई कटौती को गैरवाजिब मानते हुए बैंक को सेवा का दोषी ठहराया। मंच ने एसबीआई को राशि कटौती करने की तारीख से खाते में राशि वापस जमा करने की तारीख तक का ब्याज अदा करने और मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति पेटे 3000 रुपए शोभा व्यास को चुकाने के आदेश दिए है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर